रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

Amendment Slip No 3 III

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 241] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 1983/आषाढ़ 6, 1905
No. 241] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 1983/ASADHA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय
(रेल बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1983

सा०का०नि 514 (अ)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1983 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 1983 को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 में;

(1) नियम 3.19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3.19 विपथन (डाइवर्जिस) जंक्शनों पर रोक (स्टाप) सिगनल लगाना यदि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दी गयी है तो जहां दो या अधिक लाईनें भिन्न दिशाओं में जाती हैं वहां सिगनल ब्रेकेट खम्भों पर लगाए जाएंगे अथवा अलग सिगनलों के स्थान पर अनुमोदित किस्म के मार्ग संकेतक (रूट इंडिकेटर) की व्यवस्था की जाएगी ;

परन्तु जहां 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के लिए, हस्त-चालित बहुसंकेती सिगनल हों वहां ब्रेकेट खम्भे पर अलग सिगनलों अथवा मार्ग संकेतक (रूट इंडिकेटर) के स्थान पर केवल इकहरी भुजा वाले निकट (होम) सिगनल की व्यवस्था की जा सकती है । सम्मुख (फेसिंग) कांटों पर कांटा संकेतकों की व्यवस्था की जाएगी ।"

(2) नियम 3.33, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3.33, नियम 3.27, 3.28, 3.29 और 3.32 के अपवाद 27-नियम 3.27, 3.28, 3.29 और 3.32 में किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि स्टेशन पर मेन लाइन से केवल एक ही संयोजक (कनेक्शन है तो स्टेशन का कार्यचालन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ;

(ख) यदि किसी सेक्शन पर यातायात कम है और गाड़ियों की गति धीमी है तो वहां प्रत्येक स्टेशन पर प्रत्येक दिशा के लिए केवल एक ही रोक (स्टाप) सिगनल लगाया जा सकता है । ऐसे स्टेशनों पर सिगनल बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) कांटों से पर्याप्त दूरी पर लगाए जाएंगे और गाड़ियों का संचालन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा; और

(ग) यदि किसी रेल (रेलवे) पर बहुत कम यातायात है, तो सिग्नलों के बिना भी काम चलाया जा सकता है और गाड़ियां अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अनुसार चलायी जाएंगी;"

परन्तु हस्तचालित बहुसंकेती सिग्नलों वाले स्टेशनों पर, जहां स्टेशन से सीधी (थ्रू) गाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं है वहां प्रत्येक दिशा में एक दूर (डिस्टेंट) सिग्नल तथा एक निकट (होम) सिग्नल की व्यवस्था अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन की जाएगी।"

टिप्पण :—भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उप खंड (i) में तारीख 21-7-81 में सा० का० नि० संख्यांक 445 (अ) के अधीन अधिसूचित किए जा चुके हैं। ये नियम तारीख 16 अप्रैल, 1983 और 30 अप्रैल, 1983 के राजपत्रों में प्रकाशित अधिसूचना सं० सा० का० नि० 320 और 352 द्वारा संशोधित किए गए थे।

[सं० 68/आर आर/2/वाल्यूम VIII (3)]
सी० के० स्वामीनाथन, सदस्य, यातायात, रेल बोर्ड और पदेन सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1983

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby make the following rules, further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the 1st July, 1983.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976,—

(i) for rule 3.19, the following rule shall be substituted, namely—

"3.19. Placing of Stop signals at diverging junctions.—Unless otherwise permitted by approved special instructions, where two or more lines diverge, the signals shall be fixed on a bracket post or an approved type of route indicator shall be provided instead of separate signals;

Provided that for speeds upto 75 kilometres per hour with manually operated multiple-aspect signals, only a single arm Home signal may be provided instead of separate signals on a bracket post or a route indicator. The facing points must be provided with point indicators.";

(ii) for rule 3.33, the following rule shall be substituted, namely :—

"3.33. Exceptions to rules 3.27, 3.28, 3.29 and 3.32.—Notwithstanding anything contained in rules 3.27, 3.28, 3.29 & 3.32—

(a) if the station has only one connection off the main line, the station shall be worked in accordance with approved special instructions;

(b) on any section where traffic is light and speeds slow, one stop signal only in each direction may be provided at each station; such signal to be located at an adequate distance outside the outermost facing points of the station and trains worked in accordance with approved special instructions; and

(c) On any Railway having very light traffic, all signals may be dispensed with and trains worked under approved special instructions :

Provided that at stations with manually operated multiple aspect signals, where the speed of trains through a station does not exceed 50 kilometres per hour, a Distant signal and a Home signal only may be provided in each direction under approved special instructions."

Note.—The Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 have been notified in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated 21st July, 1981, under G.S.R. No. 445(E). These rules were amended by notifications Nos. G.S.R. 320 and 352 published in the Gazettes dated the 16th April, 1983 and the 30th April, 1983 respectively.

[No. 68/RR/2/Vol. VIII(3)]
C. K. SWAMINATHAN, Member, Traffic,
Railway Board & Ex-officio Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983